वर्ष 2026-27 की स्कीमों के लिए आउटपुट-आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क

1. मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी, सीएस

प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय 2026-27 (करोड़ रुपए में)	**आउटपुट 2026-27**			**आउटकम 2026-27**		
	आउटपुट	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	क. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)					
32.60	1. आधार वर्ष 2022-23 मानते हुए डब्ल्यूपीआई की वर्तमान श्रृंखला की मद-सूची के अनुसार विनिर्माण संस्थापनाओं और संस्थागत स्रोतों के पैनल से मासिक थोक मूल्यों का	1.1. वेब आधारित मूल्य मॉनीटरिंग प्रणाली के माध्यम से संसूचित किए गए विनिर्माण संस्थापनाओं की प्रतिक्रिया दर (प्रतिशत में)	ति1,ति2,ति3,ति4>95%	1. डब्ल्यूपीआई का संकलन करना और इसे प्रत्येक माह जारी करना।	1.1. पिछले माह के डब्ल्यूपीआई को अगले महीने के 14वें दिन (या यदि 14 तारीख को छुट्टी है, तो अगले कार्य दिवस को) जारी करना	प्रत्येक माह की निर्धारित तारीख को प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।

	संग्रह करना					
	ख.आठ कोर उद्योगों (आईसीआई) का सूचकांक					
	2. आधार वर्ष 2022-23 मानते हुए वर्तमान श्रृंखला की मद-सूची के अनुसार संस्थागत स्रोतों से आठ कोर उद्योगों के मासिक उत्पादन आंकड़ों का संग्रह करना	2.1. संस्थागत स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की प्रतिक्रिया दर (प्रतिशत में)।	ति1,ति2,ति3,ति4>95%	2. आठ कोर उद्योगों के सूचकांक का संकलन करना और इसे प्रत्येक माह जारी करना।	2.1. अगले महीने के 20 वें दिन (या अगले कार्य दिवस, यदि 20 तारीख छुट्टी है) पिछले महीने के लिए आईसीआई जारी करना।	प्रत्येक माह की निर्धारित तारीख को प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।
	ग. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) हेतु उत्पादन आंकड़े					
	3. आधार वर्ष 2022-23 मानते हुए आईआईपी के लिए विनिर्माण प्रतिष्ठानों के पैनल से डीपीआईआईटी से संबंधित आईआईपी वस्तुओं के लिए उत्पादन डाटा।	3.1. वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से संसूचित करने वाले कार्यशील विनिर्माण संस्थापना की प्रतिक्रिया दर (प्रतिशत में)।	ति1,ति2,ति3,ति4>90%	3. एमओएसपीआई द्वारा आईआईपी जारी करने में सहायता करने हेतु प्रत्येक महीने की 21 तारीख तक एमओएसपीआई के साथ आवश्यक आंकड़ों का संकलन और इन्हें साझा	3.1. पिछले महीने की संदर्भ अवधि के साथ उत्पादन डाटा को अगले महीने की 21 तारीख तक साझा करना।	हर महीने नियत तारीख तक एमओएसपीआई को आईआईपी जारी करने के लिए डाटा प्रदान करना।

				करना।		

2. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	**आउटपुट 2026-27**			**आउटकम 2026-27**		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
			वार्षिक			**वार्षिक**
0.00	1. शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को प्रारंभिक	1.1. वित्तपोषित स्टार्टअप्स की संख्या	500	1. स्टार्टअप्स को उस स्तर तक सक्षम बनाना जहां वे निवेश	1.1. प्रोटोटाइप विकसित करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या	240

	निधि उपलब्ध कराना।	1.2. वित्तपोषित इन्क्यूबेटरों की संख्या	0*	जुटा सकें।	1.2. बाजार में उत्पाद/सेवा शुरू करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या	240
					1.3. स्टार्टअप्स द्वारा सृजित रोजगारों की संख्या	5000

* इस स्कीम को 2021-25 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। चूंकि इस योजना के तहत 945 करोड़ रुपए की संपूर्ण निधि को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, इसलिए चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ईएसी द्वारा आगे किसी इन्क्यूबेटर आवेदन का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

3. **स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) (सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	**आउटपुट 2026-27**			**आउटकम 2026-27**		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**आउटकम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
			वार्षिक			**वार्षिक**
0.00	1. स्टार्टअप्स को प्रदान की गई गारंटी।	1.1. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत शामिल किए गए स्टार्टअप्स की संख्या।	300	1. स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार सृजन।	1.1. सीजीएसएस से सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों की संख्या।	4500

4. विशेष श्रेणी वाले राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (सीएस) के लिए पैकेज (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
0.01	1. जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश (एचपी) और उत्तराखंड (यूके) की पात्र इकाइयों को प्रदान की गई सहायता।	1.1. विशेष पैकेज के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	शून्य*	लागू नहीं*	लागू नहीं*	शून्य**

*जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए पैकेज (सीएस) स्कीम दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो गई है। अत:, इस स्कीम के तहत उद्योगों में कोई नया निवेश नहीं किया जाएगा।

5. संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27 वार्षिक (करोड़ रुपए में)	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27 वार्षिक (करोड़ रुपए में)
प्रस्तावित बीई-12.03	1. जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की पात्र इकाइयों को प्रदान की गई सहायता।	1.1. प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पात्र इकाइयों को प्रदान की गई सहायता।	12.03	लागू नहीं**	लागू नहीं**	शून्य

*पूर्वोक्त आंकड़े परिवर्तनशील हैं, जिनमें इकाइयों द्वारा दावे प्रस्तुत करने, राज्य सरकारों द्वारा दावों का आकलन करने तथा दावों के अनुमोदन के अध्यधीन समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

**इस स्कीम की अवधि दिनांक 31.03.2021 तक थी, और वर्तमान में यह ग्रैंडपेरेंटिंग के चरण में है। अब, पात्र औद्योगिक इकाइयों की केवल प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किया जा रहा है। आईडीएस के तहत पंजीकृत लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2026-27 में इन औद्योगिक इकाइयों में कोई नया रोजगार सृजित होने की संभावना नहीं है।

6. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27 वार्षिक (करोड़ रुपए में)	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27 वार्षिक
प्रस्तावित बीई-15.09	1. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पात्र इकाइयों को प्रदान की गई सहायता।	1.1. प्रोत्साहन राशि के रूप में औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की गई सहायता।	15.09	लागू नहीं**	लागू नहीं**	शून्य

*पूर्वोक्त आंकड़े परिवर्नशील हैं, जो इकाइयों द्वारा दावे प्रस्तुत करने, राज्य सरकारों द्वारा दावों का आकलन करने तथा दावों के अनुमोदन के अध्यधीन हैं और इनमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

**इस स्कीम की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक थी और वर्तमान में यह ग्रैंडपेरेटिंग के चरण में है। अब, पात्र औद्योगिक इकाइयों की केवल प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किया जा रहा है। आईडीएस के तहत पंजीकृत लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है। अत:, वित्त वर्ष 2026-27 में इन औद्योगिक इकाइयों में कोई नया रोजगार सृजित होने की संभावना नहीं है।

7. संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (सीएस)

केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम 2021 (एनसीएसएस, 2021) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	**आउटपुट 2026-27**			**आउटकम 2026-27**		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27** **वार्षिक (करोड़ रुपए)**	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्षय 2026-27** **वार्षिक (करोड़ रुपए)**
एनसीएसएस, 2021 **बीई - 450.00**	1.जम्मू और कश्मीर की पात्र इकाइयों को प्रदान की गई सहायता।	1.1 प्रोत्साहन राशि के रूप में औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की गई सहायता।	**450.00**	1. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।	1.1. इस स्कीम के कारण कुल वास्तविक निवेश **(करोड़ रुपए में)**	**700**

*उपर्युक्त आंकड़े परिवर्तनशील हैं, जिनमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

8. पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27 वार्षिक	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
40	पूर्वोत्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की गई सहायता	1.1. केंद्रीय ब्याज सब्सिडी स्कीम (एनईआईआईपीपी) के तहत सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या।	30	लागू नहीं**	लागू नहीं**	शून्य
		1.2. इस स्कीम (एनईआईआईपीपी) के तहत बीमाकृत औद्योगिक इकाइयों और मशीनरी की संख्या।	10			

*: उपर्युक्त आंकड़े परिवर्तनशील हैं, जिनमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

**: इस स्कीम की अवधि 31.03.2017 तक थी और वर्तमान में ग्रैंडपैरेंटिंग चरण में है। अब, केवल पात्र औद्योगिक इकाइयों की प्रतिबद्ध देनदारियां पूरी की जा रही हैं। एनईआईआईपीपी के तहत पंजीकृत सभी औद्योगिक इकाइयों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2026-27 में इन औद्योगिक इकाइयों में कोई नई रोजगार सृजित होने की संभावना नहीं है।

9. **पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस)** 2017 (**सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	**आउटपुट 2026-27**			**आउटकम 2026-27**		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27 वार्षिक**	**आउटकम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27 वार्षिक**
100	1. पूर्वोत्तर राज्यों की पात्र इकाइयों को प्रदान की गई सहायता	1.1. इस स्कीम के अंतर्गत सीसीआईआईएसी घटक के तहत सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या	30*	लागू नहीं**	लागू नहीं**	नहीं
		1.2. इस स्कीम के अंतर्गत सीआईआई घटक के तहत सहयता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या	20*			
		1.3. इस स्कीम के अंतर्गत सीसीआईआई घटक के तहत सहयता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या	20*			

		1.4. इस स्कीम के अंतर्गत परिवहन प्रोत्साहन घटक के तहत सहयता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या	5*			
		1.5. इस स्कीम के अंतर्गत जीएसटी घटक के तहत सहयता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या	10*			
		1.6. इस स्कीम के अंतर्गत आईटी घटक के तहत सहयता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या	15*			

*: उपर्युक्त आंकड़े परिवर्तनशील हैं, जिनमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

**इस स्कीम की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक थी और वर्तमान में यह ग्रैंडपेरेंटिंग के चरण में है। अब, पात्र औद्योगिक इकाइयां केवल प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा कर रही हैं। एनईआईडीएस के तहत पंजीकृत लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2026-2027 में इन औद्योगिक इकाइयों में कोई नया रोजगार सृजित होने की संभावना नहीं है।

10. उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम, 2024 (उन्नति, 2024) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	**आउटपुट 2026-27**			**आउटकम 2026-27**		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**आउटकम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
			वार्षिक			**वार्षिक**
उन्नति, 2024 180	1. औद्योगिक विकास	1.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाइयों की संख्या।	100	1. पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा।	1.1. इस स्कीम के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन के कारण प्राप्त कुल निवेश।	550 करोड़ रुपए।
		1.2. एनईआर में विस्तारित औद्योगिक इकाइयों की संख्या।	80			

*उपर्युक्त आंकड़े परिवर्तनशील हैं, जिनमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

11. भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27 (करोड़ रुपए में) वार्षिक	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
397.04	1. निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण बहिस्राव मानदंड हासिल करने हेतु चमड़ा और फुटवियर क्लस्टरों को वित्तीय सहायता	1.1 दस मौजूदा और दो नए सीईटीपी के उन्नयन हेतु संवितरित वित्तीय सहायता की राशि	90.83	1. अपग्रेड किए गए सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	1.1 चमड़ा और फुवियर क्षेत्र में अपग्रेड/स्थापित किए गए सीईटीपी की संख्या।	17
	2. मूल संरचना चमड़ा और उद्योग की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अवसंरचनात्मक	2.1 एमएलएफएसीएस की स्थापना हेतु संवितरित वित्तीय सहयता राशि	239.54	2. मेगा चमड़ा फुटवियर और सहायक उपकरण क्लस्टर की	2.1 चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में सहायताप्राप्त/ स्थापित एमएलएफएसी की संख्या	09

	सहायता			स्थापना		
	3. मौजूदा एफडीडीआई परिसरों का उन्नयन करके अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केंद्रों, खेल परिसर, बालिकाओं के छात्रावास संबंधी अवसंरचना निर्माण	3.1 एफडीडीआई के अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता राशि	42.89	3. एफडीडीआई परिसरों का उन्नयन	3.1चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में उन्नयन/निर्माण किए गए एफडीडीआई परिसरों की संख्या	07
	4. चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में ब्रांड संवर्धन	4.1 ब्रांड संवर्धन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता राशि	18.43	4. चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में भारतीय ब्रांडों का संवर्धन	4.1 भारतीय ब्रांडों के विदेशा बाजारों में संवर्धन हेतु संपन्न किए गए क्रियाकलापों/पहलों की संख्या	07
	5. चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में डिजाइन स्टूडियो का विकास	5.1. डिजाइन स्टूडियो परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता राशि	5.35	5. चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में डिजाइन स्टूडियो की स्थापना	5.1 चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में स्थापित किए गए डिजाइन स्टूडियो की संख्या	04

12. निवेश संवर्धन स्कीम (एसआईपी)

वित्त परिव्यय (करोड़ रुपए में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27 वार्षिक	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27 वार्षिक
171.00	1. निवेशक को लक्षित करना और सुविधा प्रदान करना	1.1. उच्च-स्तरीय इंगेजमेंट की संख्या (जैसे: एफटीएम[1], सीईओ फोरम, गोलमेज सम्मेलन आदि)	40	1 कंपनियों की इंगेजमेंट, सुविधा और स्थापना में वृद्धि।	1.1 इंगेज्ड कंपनियों की संख्या	240
		1.2 निवेश परामर्श/सुविधा प्रदान करना (क्षेत्रीय इंगेजमेंट)	800		1.2 कंपनियों की संख्या, जिन्हें सुविधा प्रदान की गई।	440
		1.3. कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच बैठकें/साइट का दौरा	500		1.3 स्थापित कंपनियों की संख्या	40
		1.4 एक वित्त वर्ष में प्रदर्शित कुल निवेश योग्य	840		1.4 लक्षित और सुविधाप्राप्त निवेशकों की	500

[1] एफटीएम- विदेश व्यापार मिशन

		परियोजनाएं			संख्या	
	2. आउटरीच और क्षमता निर्माण	2.1. राज्यों के साथ राज्य क्षमता निर्माण सत्रों की संख्या	16	2. निवेशक आउटरीच	2.1 राज्य आईपीए की संरचना/पुनर्संरचना और राज्य आईपीए कार्यनीति तैयार करने में राज्यों की सहायता करना	12
		2.2 रोड शो/वेबिनार/डिजिटल आउटरीच कार्यक्रम	20		2.2 आयोजित किए गए रोड शो/वेबिनार की संख्या/लक्षित या शामिल किए गए संभावित निवेशक	32
	3. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)	3.1 पीएम एकता मॉल - निर्माण और प्रगति की मॉनिटरिंग ओडीओपी-डीपीआईआईटी द्वारा की गई और शुरू की गई पीएम एकता मॉल परियोजनाओं की संख्या, उनकी प्रगति की मॉनिटरिंग के साथ	निर्माण पूरा होने वाला है: 3 मॉल (केरल, मध्य प्रदेश, असम) निर्माण शुरू किया जाएगा: 10+ मॉल	पीएम एकता मॉल की अवसंरचना की वास्तविक प्रगति और विस्तार में तेजी	3.1 स्वीकृत समयसीमा के अनुसार निर्माण के माइलस्टोन प्राप्त करने वाले पीएम एकता मॉल परियोजनाओं की संख्या	3 राज्यों के पीएम एकता मॉल में निर्माण पूरा **होने वाला है** और 10+ मॉल में निर्माण-

						कार्य शुरू किया गया है
	4. नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस)	4.1 एनएसडब्ल्यूएस पर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों की ऑनबोर्डिंग	5	प्रोसेस किए गए अनुमोदनों की संख्या	4.1 एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किए गए व्यवसाय संबंधी लाइसेंस और अनुमोदनों की संख्या	3,75,000
	5. परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी)	5.1 वरिष्ठ स्तरीय समीक्षा बैठकों की संख्या	16	सुलझाए गए मुद्दों की संख्या	5.1 मेगा इन्फ्रा परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान (>500 करोड़)	16
	6. निवेश संवर्धन के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों और उद्योगों को	6.1. सरकारी योजनाओं और विपणन के अवसरों के बारे में जागरूकता के लिए आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	100	निवेश आकर्षित करने और विनियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए भारत	6.1 प्रस्तावित निवेश/स्थापित/निष्पादित समझौता ज्ञापनों की संख्या	40

	सहायता			सरकार की नीतियों/पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना।		

***